भाग–2

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान		भड़ारी जलाशय सिंचाई परियोजना– भड़ारी नाले पर सिगुड़ी एवं पटेहरा ग्राम में प्रस्तावित है।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(1)	मध्यप्रदेश
(ii)	जिला	(ii)	उमरिया
(iii)	वन प्रभाग	(iii)	वनमण्डल का नाम बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया/परिक्षेत्र का नाम मानपुर (बफरजोन)/वनखण्ड का नाम देवरी आवेदित क्षेत्र –13.775 हे.

(अ) वन विभाग के अधीन वनभूमि

परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित/संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.में)
मानपुर (बफरजोन)	संरक्षित/देवरी	पी.एफ.–387	13.775 हे.

(ब) राजस्व विभाग के अधीन वनभूमि

परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)
मानपुर (बफरजोन)	मानपुर	सिगुड़ी एवं पटेहरा	निरंक	निरंक

कुल आवेदित क्षेत्रफल 13.775 हे0

(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वनभूमि का क्षेत्र (हे. में)	(iv)	13.775 हें.
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(v)	संरक्षित वन
(vi)	वनो का घनत्व	(vi)	आवेदित क्षेत्र में बिगड़े वनो में सुधार कार्यवृत्त श्रेणी का वन शामिल है जिसका घनत्व .00 है।
(vii)	आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाये। सिंचाई/ विद्युत परियोजना के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.–2 मीटर और एफ.आर. एल.–4 पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाये।	(vii)	वृक्षों की गणना सूची संलग्न है।

क्र.	प्रजाति	स्थानीय नाम	वानस्पतिक नाम
1			
2			
3			
4			
5			

आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है–

	गोलाई वर्गवार संख्या

			प्रजाति	0.20 cm	21.30cm	31.40cm	41.50cm	51.60cm	61.90cm	91.120cm	121.150cm	150 से अधिक	योग
			सागौन	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			अन्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			योग	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
			विस्तृत परिधि (गोलाई) श्रेणीवार विवरण संलग्न है।										
(viii)	भू–क्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी (वर्तमान भू– क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वन क्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू– क्षरण)	(viii)	टीप संलग्न है।										
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	(ix)	संरक्षित क्षेत्र पनपथा अभ्यारण्य (बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व) उमरिया की सीमा से 5.850 कि.मी. की दूरी पर स्थित है तथा आवेदित स्थल संरक्षित वन कक्ष कमांक पी–387 के वनक्षेत्र से लगा हुआ क्षेत्र है।										
(x)	क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभ्यारण्य जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है? (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	(x)	हां। प्रस्तावित क्षेत्र बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व के अन्तर्गत घोषित बफर क्षेत्र की सीमा का भाग है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान (बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व उमरिया) के मापदण्ड अनुसार विभागीय कार्यवाही संचालित होती है।										
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जाति की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं। यदि हां तो तत्सम्बंधी ब्यौरा दें।	(xi)	क्र.	प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)					
				स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट			
			1	चिंकारा	*Gazellka gazelle bemmetti*	हां	हां	–			
			2	अजगर	*Genus python*	हां	हां	–			
			3	–	–	–	–	–			
			4	–	–	–	–	–			
			5	–	–	–	–	–			
(xii)	क्या कोई संरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां	(xii)	कोई भी संरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक आवेदित क्षेत्र मे नही है।										

<table>
<tr><td></td><td>तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ , यदि अपेक्षित हों, दें</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>प्रयोक्ता एजेण्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरे साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या हैं?</td><td></td><td>अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।</td><td></td><td>नही।</td></tr>
<tr><td>10</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>(i)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/ अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डो की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकर</td><td></td><td>प्रतिपूरक वनीकरण जिला उमरिया के वनमण्डल उमरिया सामान्य के अन्तर्गत चयनित दुगने बिगड़े वन/ गैर वनभूमि/ राजस्व वनभूमि पर किया जावेगा जिसका विवरण नीचे संलग्न है। गैर वन/राजस्व वन भूमि निकटस्थ वनखण्ड से लगी हुई है।
<table>
<tr><th>जिला</th><th>वनमण्डल</th><th>खसरा क्रमांक/कक्ष क्रमांक</th><th>क्षेत्रफल (हे. में)</th></tr>
<tr><td>उमरिया</td><td>उमरिया सामान्य</td><td>ग्राम अर्जुनी, तहसील पाली, जिला उमरिया ख.क. 56</td><td>0.998</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>57</td><td>4.776</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>58</td><td>0.910</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>59</td><td>6.205</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>60</td><td>0.100</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>61</td><td>0.785</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>62</td><td>1.00</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>63</td><td>0.161</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>8 किता</td><td>14.935 हे.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वनसंरक्षक) का प्रमाण पत्र</td><td></td><td>वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र में कोई अतिक्रमण नही है तथा वन प्रबंधन की दृष्टि से यह क्षेत्र वृक्षारोपण करने हेतु योग्य है। इस संबंध में वनमण्डल अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।</td></tr>
</table>

(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभि निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वनसीमाओं को दर्शाता मैप (गैर वनभूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैपर से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (साफ्ट कापी) –5 हे. से कम प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच = 1 मील) भी संलग्न किया जावे।		1.50000 का वनमण्डल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र संलग्न है।
(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण का विवरण कार्यान्वयन एजेण्सी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि।		सात वर्षीय प्रतिपूरक वृक्षारोपण योजना संलग्न है। योजना पर वर्ष 2016 से 2022 तक कुल रु. 3.50 लाख प्रति हे. का व्यय संभावित है। योजना अन्तर्गत मुख्यतः मिश्रित प्रजातियों के पौधे रोपित किये जावेंगे। कार्य वनविभाग /आवेदक संस्था द्वारा कराया जावेगा।
11	उपवन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूंछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें।)		वनमण्डलाधिकारी **श्री एम0 एल0 लाडिया (भा0 व0 से0)** का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाईल		
(i)	जिले का भागोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र **.4503** वर्ग कि.मी. है।
(ii)	जिले का वनक्षेत्र	(ii)	जिले का कुल वनक्षेत्र **.2325.48** वर्ग कि.मी. है। (टीपः– इसमें वनविभाग के अधीन वनक्षेत्र/राजस्व विभाग के अधीन वनक्षेत्र अलग–अलग बताया जावे।) जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का **51.64%** गया है।
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	(iii)	अभी तक जिले में **21** प्रकरणों में कुल **1704.953** हे. वनक्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रति पूरक वनीकरण (दाण्डिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित।)	(iv)	24.10.1980 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (भे–सर्वे) से प्रापत स्वीकृति अनुसार अभी तक **21** प्रकरणो में निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया।

वर्ष	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र (हे.में)	दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (ह.में)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि (हे.में)	दण्ड स्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. में)	योग (हे. में)
	1151.283	–	**1011.624**	–	**2162.907**

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(क) वनभूमि ..... हे.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>(ख) वनेत्तर भूमि पर ..... हे.</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण 2162.907 हे. है।</td></tr>
<tr><td>(v)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति</td><td>(v)</td><td>अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रति पूरक वृक्षारोपण किया गया है।
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>दुगने बिगड़े वनक्षेत्र (हे.में)</th><th>दण्ड स्वरूप वनभूमि पर (ह.में)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि (हे.में)</th><th>दण्ड स्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. में)</th><th>योग (हे. में)</th><th>व्यय रु. में</th></tr>
<tr><td>योग–</td><td>1678.905</td><td>–</td><td>626.189</td><td>–</td><td>2305.094</td><td>11872027.00</td></tr>
</table>
(क) वनभूमि .....हे.।
(ख) वनेत्तर भूमि पर ..... हे.।
अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण 2305.094 हे.।</td></tr>
<tr><td>13</td><td>प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवनसंरक्षक का कारण सहित अभिमत
नोट– आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभो के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बावत् स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर बिचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।</td><td></td><td>प्रस्तावित परियोजना से वनभूमि का कुल रकवा 13.775 हे. प्रभावित होकर बांधवगढ टाईगर रिजर्व उमरिया की कोर सीमा से 5.850 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं संरक्षित वन कक्ष कमांक पी–387 के वनक्षेत्र की सीमा से लगा हुआ है। प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावनाएं कम है तथा परियोजना से कुल 317 हे. कृषि क्षेत्र का रकवा सिंचित होगा जिससे किसानो की आय में वृद्धि होगी। जिससे स्थानीय कृषक अपनी आजीविका पर आत्मनिर्भर हो सकेगे।
प्रस्तावित परियोजना के जल भराव क्षेत्र के प्रतिवर्ष शीतकाल से ग्रीश्मकाल की अवधि के दौरान जल कम होने पर खाली हुये भू–क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य नही किया जा सकेगा। प्रस्तावित परियोजना के जल भण्डार में मछली पकड़ना एवं अन्य व्यवसायिक गतिविधियां नही की जा सकेगी। प्रस्तावित परियोजना स्थल के चारो ओर विद्युत लाइन को नही नही बिछाया जा सकेगा और न ही विद्युत पम्पो का उपयोग किया जा सकेगा। उपरोक्त सभी शर्तो का पालन करना प्रस्तावित परियोजना के लिये आवेदित विभाग की जिम्मेदारी होगी। प्रस्तावित परियोजना के सम्पूर्ण भाग में वन विभाग के द्वारा दैनिक एवं रात्रि गश्ती कार्य (जब वह उपयुक्त समझे) किया जा सकेगा।</td></tr>
</table>

तिथि : 08.04.2016
स्थान : उमरिया

संयुक्त संचालक
बांधवगढ़ टाईगर रिजर्व
उमरिया